

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर जिला-सलूमबर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2006 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2006/00005

उनवान

1. श्रीमती कंकुबाई पुत्री गोईन्दाजी डांगी पत्नी धुलाजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल ओरवाडिया तहसील सलूमबर।

-वादिगण

बनाम

1. श्रीमती देवुबाई पत्नी स्व. गोताजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूमबर (राज.)।
2. श्रीमती लाली पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी कानजी डांगी उम्र बालिग निवासी करावली तहसील सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)।
3. श्रीमती भूरीबाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी शंकरजी डांगी उम्र बालिग निवासी ओरवाडीया तहसील सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)।
4. श्रीमती धापु बाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी सवाईलालजी डांगी उम्र बालिग निवासी गींगला तहसील सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)।
5. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी दलीचन्द डांगी उम्र बालिग निवासी झाडोल तहसील सराडा जिला सलूमबर (राज.)।
6. श्री गांगा पिता वीरजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल तहसील झल्लारा।
7. भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलूमबर (राज.)।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-::निर्णय::-

दिनांक:- 20/04/26

उपस्थित:- श्री गेबीलाल मेहता -वादी

श्री गोपाल चौबीसा अधिवक्ता - प्रतिवादी संख्या 1 से 5

प्रतिवादी संख्या 6-एक पक्षीय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण मे वादीनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे अनुसार न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23-12-2020 द्वारा मौजा बनोडा के खाता संख्या 75 में वर्णित आराजीयात की भूमि हेतु पांती बंटवाडा स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे बंटवाडे की डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलूमबर के पत्रांक 83 दिनांक 13-02-2026 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को करवाया गया। उभयपक्ष ने प्रारम्भिक डिक्री

सहायक कलक्टर सलूमबर  
जिला सलूमबर

श्रीमती कंकुबाई बनाम श्रीमती देवुबाई

पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा बनोडा हल्का बनोडा पुरानी खाता संख्या 75 एवं वर्तमान खाता संख्या 346 के आराजीयात कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है-

1. खातेदार का नाम- श्रीमती कंकुबाई पुत्री गोईन्दा हिस्सा पूर्ण जाति डांगी के खाते आराजी नम्बर 1458/0.11, 1462/0.09, 1474/0.08, 1483/0.03, 1484/0.04, 1485/0.05, 1502/0.05, 1503/0.02, 1506/0.03, 1518/0.05, 1519/0.07, 1522/0.16, 1523/0.19, 1528/0.20, 1533/0.08, 1534/0.06, 1538/0.21, 1553/0.12, 1554/0.13, 1509 मीन 0.015 रकबा 1.785 हैक्टेयर।
2. खातेदार का नाम- गांगा पुत्र वीरजी हिस्सा 1/2 जाति डांगी सा.देह, देवुबाई पत्नी स्व. गोता हिस्सा 1/10, धापु पुत्री गोता हिस्सा 1/10, भूरी पुत्री गोता हिस्सा 1/10, लाली पुत्र गोता हिस्सा 1/10, गंगा पुत्री गोता हिस्सा 1/10 के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 1509/1/0.015, 2640/0.16, 2774/0.14, 2775/0.12, 2790/0.03, 2791/0.19, 2792/0.18, 3606/2641/0.10, 452/0.21 कुल किता 9 रकबा 1.145 हैक्टेयर।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 83 दिनांक 13-02-2026 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पक्षकारो के हिस्से अनुसार खाते पृथक-पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 20/04/26 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर  
सहायक जिला सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश-20 के नियम-8 और 7)  
न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस  
प्रकरण संख्या 02/2008 रा.वा.  
जी.सी.एम.एस.नम्बर-2008/00005  
उनवान

1. श्रीमती कंकुबाई पुत्री गोईन्दाजी डांगी पत्नी धुलाजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल ओरवाडिया तहसील सलुम्बर।

-वादिगण

बनाम

1. श्रीमती देवुबाई पत्नी स्व. गोताजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
2. श्रीमती लाली पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी कानजी डांगी उम्र बालिग निवासी करावली तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
3. श्रीमती भूरीबाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी शंकरजी डांगी उम्र बालिग निवासी ओरवाडीया तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
4. श्रीमती धापु बाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी सवाईलालजी डांगी उम्र बालिग निवासी गींगला तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
5. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. गोताजी डांगी पत्नी दलीचन्द डांगी उम्र बालिग निवासी झाडोल तहसील सराडा जिला सलुम्बर (राज.)।
6. श्री गांगा पिता वीरजी डांगी उम्र बालिग निवासी बनोडा हाल तहसील झल्लारा।
7. भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांक:- 20/04/26

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से एडवोकेट श्री गोपाल चौबीसा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 20/04/26 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा बनोडा पटवार हल्का बनोडा पुरानी खाता संख्या 75 एवं वर्तमान खाता संख्या 346 के आराजीयात की कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. खातेदार का नाम- श्रीमती कंकुबाई पुत्री गोईन्दा हिस्सा पूर्ण जाति डांगी के खाते आराजी नम्बर 1458/0.11, 1462/0.09, 1474/0.08, 1483/0.03, 1484/0.04, 1485/0.05, 1502/0.05, 1503/0.02, 1506/0.03, 1518/0.05, 1519/0.07, 1522/0.16, 1523/0.19, 1528/0.20, 1533/0.08, 1534/0.06, 1538/0.21, 1553/0.12, 1554/0.13, 1509 मीन 0.015 रकबा 1.785 हैक्टेयर।



सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

उनवान-श्रीमती कंकुबाई बनाम श्रीमती देवुबाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला -सलुम्बर

वाद संख्या-02/2006

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

2. खातेदार का नाम- गांगा पुत्र वीरजी हिस्सा 1/2 जाति डांगी सा.देह, देवुबाई पत्नी स्व. गोता हिस्सा 1/10, धापु पुत्री गोता हिस्सा 1/10, भूरी पुत्री गोता हिस्सा 1/10, लाली पुत्र गोता हिस्सा 1/10, गंगा पुत्री गोता हिस्सा 1/10 के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 1509/1/0.015, 2640/0.16, 2774/0.14, 2775/0.12, 2790/0.03, 2791/0.19, 2792/0.18, 3606/2641/0.10, 452/0.21 कुल किता 9 रकबा 1.145 हैक्टेयर।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 83 दिनांक 13-02-2026 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पालार्थ तहसीलदार झल्लारा को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 20/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
सलुम्बरलुम्बर



### वादे के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीसतलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	02	00			
8. स्टाम्प		00			
योग	07	00		02	00

सहायक कलक्टर  
सलुम्बर  
जिला सलुम्बर